मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 521 /205/सीसी/19/38 भोपाल, दिनांक 05.10.2020

प्रति,

संलग्न सूची अनुसार

विषयः-विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98 वीं बैठक हेतु स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2020 का कार्यवाही विवरण।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98 वीं बैठक हेतु स्थायी समिति की बैठक कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2020 को प्रातः 12.00 बजे से प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा के प्रतिकक्ष, एनेक्सी -3 द्वितीय तल, मंत्रालय, भोपाल से ऑनलाइन सम्पन्न हुई है ।

अतः आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- कार्यवाही विवरण

(डॉ.डी.पी.सिंह)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

पृ.क्रमांक 522/205/सीसी/19/38 भोपाल, दिनांक 05-10-2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।

2. निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

3. सचिव, म.प्र. निजी विष्वविद्यालय विनियामक आयोग, ज्ञान वाटिका वाल्मी रोड़ कोलार रोड़, भोपाल की ओर निजी विश्वविद्यालयों को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

4. आईटी सेल प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर समस्त सदस्यों को ईमेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड शीघ्र करने हेतु प्रेषित।

5/X/20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कुलपति एवं अन्य अधिकारीगण की सूची

1. कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह् विश्वविद्यालय, रीवा
3. कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
4. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
5. कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
7. कुलपति राजीव गांधी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल।
8. कुलपति, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना
9. कुलपति, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, चूनाभट्टी, भोपाल
10. कुलपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन
11. कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आधारताल, जबलपुर
12. कुलपति, राष्ट्रीय विधि संस्थान, विश्वविद्यालय, भोपाल
13. कुलपति, मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर
14. कुलपति, विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
15. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल
16. कुलपति, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
17. कुलपति, म.प्र.आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
18. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल।

19.कुलपति, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय,सांची, रायसेन।

20.कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर।

21.कुलपति, डॉ बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू।

22.कुलपति, पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल।

23.कुलपति, छिंदवाडा विश्वविद्यालय, छिंदवाडा ।

24.कुलपति, म.प्र. धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

25.अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

26.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

27.प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।

28.प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन; विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल

29.आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

30.अध्यक्ष, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

31.संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तवा काम्पलेक्स विठ्ठन मार्केट, भोपाल।

32.क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. डब्ल्यू आर सी, श्यामला हिल्स भोपाल।

33..क्षेत्रीय निदेशक, ए.आई.सी.टी.ई. श्यामला हिल्स, भोपाल।

34..क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल।

35.विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, शाखा-3 मंत्रालय।

कुलपति निजी विश्वविद्यालयों की सूची

1. कुलपति, जे0 पी0 अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी निजी विश्वविद्यालय, राधौगढ, गुना

2. कुलपति, एमीटी निजी विश्वविद्यालय,ग्राम महाराजपुर डांग ग्वालियर

3. कुलपति, आई.टी.एम. निजी . विश्वविद्याल, झांसी रोड, सिथौली रेल्वे स्टेशन के पास, ग्वालियर

4. कुलपति, आईसेक्ट निजी विश्वविद्यालय ग्राम मेदुआ पो.भोजपुर चिकलोद रोड,रायसेन

5. कुलपति, ए0के0एस0निजी विश्वविद्यालय ए.के.एस चेरिटेविल ट्रस्ट बिड़ला रोड,गोपाल स्कूल के पास सतना

6. कुलपति, ओरियन्टल निजी विश्वविद्यालय रेवती रेंज गेट नं.1 अन्नपूर्णा मंदिर सावेर रोड जाख्या इन्दौर

7. कुलपति, जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालिया छाप तह.हुजूर भोपाल

8. कुलपति, स्वामी विवेकानंद निजी विश्वविद्यालय, सागर

9. कुलपति, टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिरोंज

10. कुलपति, पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भानपुर भोपाल

11. कुलपति रामकृष्ण धर्मार्थ फाउन्डेशन निजी विश्वविद्यालय, एयर पोर्ट वायपास रोड,गांधी नगर,भोपाल

12. कुलपति, श्री सत्यसाई प्राद्योगिकी एवं विज्ञान निजी विश्वविद्यालय, सिहोर

13. कुलपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय , भोपाल

14. कुलपति, एल.एन.सिटी निजी विश्वविद्यालय,कोलार रोड़ भोपाल

15. कुलपति, मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, वायपास स्कवायर,रेवास देवड़ा रोड़ मंदसौर

16. कुलपति, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय,इंदौर देवास वायपास रोड़ ग्राम अरण्डीया, इंदौर।

17. कुलपति, पी.के.निजी विश्वविद्यालय,ग्राम थानरा,तह0 करेरा एन.एच. 25 शिवपुरी।

18. कुलपति, मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, एन.एच.-59 ए नेमावार रोड़, इंदौर।

19. कुलपति, श्री वैष्णव निजी विश्वविद्यालय, ए0बी0रोड पिगदाम्बर राउ, इंदौर।

20. कुलपति, मेडीकेप्स निजी विश्वविद्यालय, ए.बी.रोड़ पिगदाम्बर राउ,इंदौर।

21. कुलपति, जी.एच.आर.रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, मौजा ग्राम, धोधाबोरगांव, ग्राम साईसेड़ा तहसील सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा।

22. कुलपति, सिम्बायसिस युनिवर्सिटी आफ एप्लाईड सांइसेस वड़ा वानगडडा तहसील हातोद, इन्दौर।

23. कुलपति, व्ही.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर

24. कुलपति, अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन।

25 कुलपति, सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर

26 कुलपति, रैनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर

27. कुलपति, भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल।

28 कुलपति, मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल।

29. कुलपति, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर।

30. कुलपति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट।

31. कुलपति, डॉ.सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा।

32. कुलपति, मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर।

33. कुलपति, संजीव अग्रवाल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल ।

34. कुलपति, आई.ई.एस. निजी विश्वविद्यालय, भोपाल ।

35. कुलपति, सेम ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, रायसेन ।

36. कुलपति, मंगलायतन निजी विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

37. कुलपति, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय,पोस्ट -उमरियापान, कटनी।

5/4/20

(डॉ. डी.पी.सिंह)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय,

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98 वीं बैठक हेतु स्थायी समिति की बैठक

कार्यवाही विवरण

मंत्रालय, भोपाल, बैठक दिनांक 30.09.2020

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98 वीं बैठक हेतु स्थायी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक :- 30.09.2020 समय :- पूर्वान्ह 12 बजे

स्थान :- एनेक्सी -3 द्वितीय तल, मंत्रालय, भोपाल

98 वीं बैठक संबंधी प्रस्ताव

क्र.	विषय	पृ.क्र.
01	विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	01

अनुसमर्थन प्रस्ताव

02	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर के अंतर्गत संचालित बीएससी कृषि/ उद्यानिकी / वानिकी एवं बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) स्नातक पाठयक्रम हेतु प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019 -20 के अकादमिक कैलेण्डर एवं विभिन्न स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठयक्रमों हेतु पुनरीक्षित/संशोधित शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2019 -20 के अनुमोदन बाबत ।	02
03	सत्र 2020-21 ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय चालू करने/नवीन पाठयक्रम/नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएं प्रारंभ करने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश ।	03
04	ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2020-21 के अंतर्गत प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत के संबंध में ।	04

सामान्य प्रस्ताव

05	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रू. 1000/- के स्थान पर रू.3000/- किए जाने विषयक।	05-06
06	गोपनीय कार्यो हेतु भत्तों को लेकर सभी विश्वविद्यालय में असमानता होने पर एकरूपता लाने पर विचार।	07
07	प्रदेश में उच्च शिक्षा की निम्नानुसार गुणवत्ता सुधार करने के संबंध में। 1. छात्रों एवं प्राध्यापकों की उपस्थिति के संबंध में। 2. प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय से नैक मूल्यांकन एवं एन. आई. आर. एफ. रैंकिंग में सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार करना। 3. Plagiarism रोकने हेतु ऑनलाइन डिजर्टेशन एवं थीसिस जमा करने का प्रावधान करने विषयक। यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 (फार प्रमोशन आफ एकेडिमिक इन्टीग्रिटी एण्ड प्रिवेन्सन आफ प्लेगियारिज्म) 4. ऑनलाइन पाठयक्रमों को विश्वविद्यालय परीक्षा में क्रेडिट प्रदान करना। यू.जी.सी. रेगुलेशन 2016 (क्रेडिट फ्रेम वर्क फार ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस थ्रू स्वयं /SWAYAM)	08
08	अकादमिक कैलेण्डर का पालन करने के संबंध में।	09
09	अशासकीय महाविद्यालयों में कालेज कोड 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधानों की समीक्षा विषयक।	10-13
10	नवीन अशासकीय महाविद्यालय/ नवीन संकाय/ नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठयक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्वान्त एवं परिनियम 27 में संशोधन विषयक।	14
11	एकरूपता समिति द्वारा अनुशंषित शेष परिनियम क्र. 26,35 एवं 43 के संबंधमें	15-16

12	खिलाडियों के दैनिक भत्ते एवं अन्य भत्तों में वृद्धि के संबंध में।	17
13	विश्वविद्यालय के कुलपति की सेवा शर्तो संबंधी परिनियम 01 के संबंध में	18
14	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन ' सोसायटी के गठन एवं उप विधि संबंधी प्रकरण।	19
15	03 विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति पद सृजन के संबंध में परिनियम में संशोधन।	20
16	विश्वविद्यालयों से प्राप्त अध्यादेश /परिनियम	21-23
17	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।	24

दिनांक 30.09.2020 को पूर्वान्ह 12.00 बजे से स्थायी समिति की बैठक डॉ.संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिकक्ष , एनेक्सी -3 द्वितीय तल, मंत्रालय, भोपाल से ऑनलाइन के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यगणों की उपस्थिति आनलाइन रही। (संलग्नक अनुसार)

(2) अध्यक्ष की अनुमति से आयुक्त, उच्च शिक्षा, पदेन सचिव, स्थायी समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ एजेण्डा अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विषय क्र. 1 - विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

प्रस्ताव

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97वीं बैठक में लिए गए निर्णय का कार्यवाही विवरण प्रेषित कर समस्त विश्वविद्यालयों से पालन प्रतिवेदन भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया था। जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक वि.वि. उज्जैन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया है। शेष विश्वविद्यालयों से पालन प्रतिवेदन अपेक्षित है। पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा कुलपतिगणों से अनुरोध किया गया कि शेष विश्वविद्यालय भी पालन प्रतिवेदन एक माह की समयावधि में प्रेषित करें।

विषय क्र. 2 - जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर के पुनरीक्षित/संशोधित शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2019 -20 के अनुमोदन बाबत ।

प्रस्ताव -

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर के अंतर्गत संचालित बीएससी कृषि/उद्यानिकी / वानिकी एवं बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) स्नातक पाठयक्रम हेतु प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019 -20 के अकादमिक कैलेण्डर एवं विभिन्न स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठयक्रमों हेतु पुनरीक्षित/संशोधित शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2019 -20 के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव पर समन्वय समिति के अनुसमर्थन की प्रत्याशा में माननीय कुलाधिपति जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत ।

अनुशंसा -

स्थायी समिति अवगत हुई तथा समन्वय समिति में अनुमोदन की अनुशंसा की गई ।

विषय क्र. 3 - सत्र 2020-21 ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय चालू करने/नवीन पाठयक्रम/नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएं प्रारंभ करने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश ।

प्रस्ताव -

सत्र 2020-21 ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय चालू करने/नवीन पाठयक्रम/नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएं प्रारंभ करने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश संबंधी प्रस्ताव पर समन्वय समिति के अनुसमर्थन की प्रत्याशा में माननीय कुलाधिपति जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत ।

अनुशंसा -

स्थायी समिति अवगत हुई तथा समन्वय समिति में अनुमोदन की अनुशंसा की गई ।

विषय क्र. 4 ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2020-21 के अंतर्गत प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत के संबंध में।

प्रस्ताव -

सत्र 2020-21 में शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश विषयक प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत के प्रारूप को समन्वय समिति के अनुसमर्थन की प्रत्याशा में माननीय कुलाधिपति जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत ।

अनुशंसा -

स्थायी समिति अवगत हुई तथा समन्वय समिति में अनुमोदन की अनुशंसा की गई ।

विषय क्र. 5 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रू. 1000/- के स्थान पर रू. 3000/- किए जाने विषयक।

प्रस्ताव -

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97 वीं बैठक दिनांक 30.09.19 के कार्यवाही विवरण के विषय क्र . 06 में की गई अनुशंसा अनुसार प्रकरण पर एकसमान दृष्टिकोण से सभी विश्वविद्यालयों हेतु विचार कर अनुशंसा के लिए गठित समिति से प्रतिवेदन दिनांक 17.12.19 को प्राप्त हो गया है। प्रतिवेदन में समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रू. 1000/- के स्थान पर रू. 2000/- किए जाने एवं निम्नानुसार भी अनुशंसा की गई है :-

(1) विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के परिवार को मेडीक्लेम पालिसी के अंतर्गत लाया जाए एवं 04 सदस्यीय परिवार हेतु राशि रूयपे 5.00 लाख की मेडिक्लेम पालिसी कवर प्रदान किया जाए।

(2) मेडिक्लेम पालिसी कवर पर आने वाले व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान संबंधित कर्मचारी, 25 प्रतिशत अंशदान शिक्षक/कर्मचारी वेलफेयर फंड से वहन किया जाए एवं शेष 50 प्रतिशत अंशदान संबंधित विश्वविद्यालय व्दारा वहन किया जाए।

(3) मेडिक्लेम पालिसी कवर हेतु सरकारी क्षेत्र की चारों साधार बीमा कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाएँ एवं न्यूनतम प्रस्ताव के आधार पर कार्यावंटन किया जाए।

समिति द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी से यह जानकारी प्राप्त की गई कि एक प्राथमिक प्राक्कलन के आधार पर 04 सदस्यीय परिवार हेतु राशि रूपये 5.00 लाख का मेडिक्लेम कवर प्रदान करने पर लगभग राशि रूपये 7500.00 वार्षिक प्रीमियम देय होगा। उनके व्दारा यह भी कहा गया कि प्रस्तावित मेडिक्लेम पालिसी में निम्नलिखित वेवर्स भी सम्मिलित किए जाने चाहिए।

1.सामान्य मेडिक्लेम पालिसी में दी जाने वाली 30 दिन की अवधि की शर्त हटाई जाए।

2.पूर्व से ही विद्यमान बीमारियों को भी सम्मिलित किया जाए।

3. 4 years exclusion cover को भी सम्मिलित किया जाए।

4.मेटरनिटी कवर को भी सम्मिलित किया जाए।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रू. 1000/- के स्थान पर रू. 2000/- किए जाने एवं मेडिक्लेम पालिसी हेतु कर्मचारियों से 25 प्रतिशत एवं विश्वविद्यालय द्वारा 75 प्रतिशत राशि वहन करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 6 - गोपनीय कार्यो हेतु भत्तों को लेकर सभी विश्वविद्यालय में असमानता होने पर एकरूपता लाने पर विचार।

प्रस्ताव

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97 वीं बैठक दिनांक 30.09.19 में उक्त प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नकल एवं भ्रष्टाचार विहीन, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली अपनाये जाने पर जोर दिया। परीक्षा संबंधित कार्यो तथा गोपनीय भत्ते जैसे विषयों को लेकर कार्य करने में असहयोग करने को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाये एवं दोषियों को दंडित किया जाये।

प्रस्ताव पर समिति गठन के सुझाव को मान्य किया गया ।

निर्णयानुसार आयुक्त उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में पत्र दिनांक 21.10.19 व्दारा 04 सदस्यी समिति गठित कर समिति से प्रतिवेदन चाहा गया था प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित हैं।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन 01 माह में उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 7 - प्रदेश में उच्च शिक्षा की निम्नानुसार गुणवत्ता सुधार करने के संबंध में।

प्रस्ताव

1. छात्रों एवं प्राध्यापकों की उपस्थिति के संबंध में ।
2. प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय से नैक मूल्यांकन एवं एन. आई. आर. एफ. रैंकिंग में सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार करना ।
3. Plagiarism रोकने हेतु आनलाइन डिजर्टेशन एवं थीसिस जमा करने का प्रावधान करने विषयक ।

   यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 (फार प्रमोशन आफ एकेडिमिक इन्टीग्रिटी एण्ड प्रिवेन्सन आफ प्लेगियारिज्म)
4. आनलाइन पाठयक्रमों को विश्वविद्यालय परीक्षा में क्रेडिट प्रदान करना ।

   यू.जी.सी. रेगुलेशन 2016 (क्रेडिट फ्रेम वर्क फार आनलाइन लर्निंग कोर्सेस थ्रू स्वयं /SWAYAM)

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97 वीं बैठक दिनांक 30.09.19 में उक्त प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की अध्यक्षता में पत्र दिनांक 21.10.19 व्दारा 05 सदस्यी समिति गठित कर समिति से प्रतिवेदन चाहा गया था । प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित है ।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन 01 माह में उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा की गई ।

विषय क्र. 08 - अकादमिक कैलेण्डर का पालन करने के संबंध में।

प्रस्ताव

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97 वीं बैठक दिनांक 30.09.19 में विषय क्र. 10 पर लिये गये निर्णय अनुसार मा.कुलाधिपति जी द्वारा समस्त लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश देते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। सत्र 2020-21 के लिए ई-प्रवेश प्रक्रिया का अकादमिक कैलेण्डर गठित समिति के अभिमत /संशोधन सहित तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 09 अशासकीय महाविद्यालयों में कालेज कोड 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधानों की समीक्षा विषयक।

प्रस्ताव

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 97 वीं बैठक दिनांक 30.09.19 के कार्यवाही विवरण के विषय क्र . 15 में की गई अनुशंसा अनुसार प्रकरण में अशासकीय महाविद्यालयमें कॉलेज कोड 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधानों की समीक्षा के संबंध में गठित समिति से प्रतिवेदन दिनांक 17.01.2020 को प्राप्त हो गया है। समिति ने निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

1. समिति ने यह पाया कि परिनियम 28 (कॉलेज कोड 28) म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 35 के अंतर्गत निर्मित, अशासकीय उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित म.प्र. अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती) अधिनियम 1979 के अध्यधीन अशासकीय महाविद्यालयों के लिए भी बनाया गया था। कालान्तर में समस्त निजी अशासकीय अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त शासकीय महाविद्यालय में भी यही परिनयम 28 प्रभावशील मान्य किया गया।
2. निजी महाविद्यालय के प्रतिनिधियों से गहन चर्चा मे यह स्पष्ट हुआ कि निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी भर्ती न होने और बार-बार संस्था बदलने से कई बार विश्वविद्यालय के समक्ष चयन प्रक्रिया हेतु आवेदन करना होता है और इस बारम्बारता के कारण मान्यता में भी असर पडता है। प्रमुख समस्यायें इस प्रकार हैं :

    क. कम संख्या में नेट और पीएच.डी अभ्यर्थियों की उपलब्धता/योग्य शिक्षकों का अभाव।

    ख. महाविद्यालयों द्वारा वेतन भुगतान यूजीसी निर्धारित वेतनमान के अनुसर न करना या समय पर भुगतान न होना।

    ग. योग्य शिक्षकों द्वारा बार-बार संस्थाओं को बदलना।

घ. निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के मध्य समुचित व समन्वित प्रणालीका अभाव।

ङ. महाविद्यालयों में समुचित संख्या में छात्र के प्रवेश न होने से बार-बार पाठ्यक्रमों में परिवर्तन व मान्यता संबंधी विवाद।

3. बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लेखित समस्याओं पर विचारोपरान्त समिति का स्पष्ट विचार है कि निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु म.प्र. राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत चयन प्रणाली विकसित किया जाना आवश्यक है। तदानुसार संबंधित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 तथा संबंधित परिनियम/विनियमों में संशोधन भी किया जाना उचित होगा।

4. मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित समस्त निजी महाविद्यालयों में नियुक्त होने वाले विभिन्न विषयों के शिक्षकों के चयन, राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करते हुए किया जाना उचित होगा जिसमें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 35 के अंतर्गत निर्मित कॉलेज कोड-28 के शिक्षकों का चयन केन्द्रीयकृत रूप से किया जा सकता है।

5. निजी महाविद्यालय मे यह पाया गया है कि शिक्षकों का स्थाई रूप से चयन अथवा नियमित रूप से कार्य करने की स्थिति नहीं मिलती है। अधिकतर शिक्षक नौकरी छोड देते हैं या 1-2 वर्ष के अन्तराल में ही निजी महाविद्यालय/निजी संस्थान बदलते रहते है। फलस्वरूप इनके चयन हेतु यह भी उचित प्रतीत होता है कि पूर्णकालिक/अंशकालिक/ किसी एक विषय को पढ़ाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिये योग्य शिक्षकों का राज्यस्तरीय पैनल तैयार किया जाए।इस पैनल में यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार योग्यता रखने वाले शिक्षकों को चयनित कर सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह सूची राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर विभाग द्वारा तैयार की जावेगी। गुणानुक्रम के निर्धारण का आधार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन निर्मित विनियम 2018 के अनुसार विभिन्न विषयों में योग्यता रखने वाले शिक्षकों की सूची तैयार करने हेतु तीन केटेगरी की सूची तैयार की जा सकती है जिससे हर समय राज्य भर के निजी महाविद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे। केटेगरी तीन प्रकार से तैयार की जा सकती है :-

क. अर्हता-पीएच.डी. : शिक्षण, अनुशंधान निदेशक, मूल्यांकन आदि कार्य कर सकते है।

ख. अर्हता-केवल नेट/सेट : शिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य कर सकते है।

स. अर्हता- पी.जी. 55 प्रतिशत से अधिक अंक के साथ : केवल शिक्षण कार्य कर सकते हैं।

टीप : 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की अनउपलब्धता पर ही 'स' श्रेणी के उम्मीदवारों को कार्य पर रखा जाए एवं 'स' श्रेणी के शिक्षकों से स्नातक कक्षाओं का ही अध्यापन कार्य कराया जाए।

7. उपरोक्त प्रक्रिया से उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की एक राज्य स्तरीय पंजी गुणानुक्रम में तैयार की जाएगी जिसमें यू जी सी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी अपना पंजीयन करा सकेंगे। यह पंजीयन प्रत्येक वर्ष अपडेट किया जायेगा जो अभ्यर्थी एक बार इसमें पंजीयन करा लेगा उसको निर्धारित एक यूनिक आईडी प्राप्त हो जाएगा। इस यूनिक आईडी के द्वारा संबंधित योग्य शिक्षक मध्यप्रदेश के निजी महाविद्यालय में अतिथि विद्वान/अंशकालिक शिक्षक/पूर्णकालिक शिक्षक/ अस्थाई शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस यूनिक आई डी के के साथ पंजीकृत रजिस्टर से संबंधित महाविद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों को गुणानुक्रम के आधार पवर आवेदन आमंत्रित कर रख सकते है।

8. उच्च शिक्षा विभाग राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय शिक्षकों की रिक्त सूची का विज्ञापन कर सकता है और इस विज्ञापन के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को सूची में पंजीकृत कर सकेगा।

9. कोड-27 में अनुशंसित संशोधन जो कोड 28 में संशोधन के कारण आवश्यक है आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त अनुशंसाएं क्रियान्विंत किये जाने से निजी महाविद्यालय के मध्य कॉलेज कोड-28 के अंतर्गत शिक्षकोंका चयन किये जाने की समस्या को निराकृत किया जा सकता है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति की बैठक में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठन का निर्णय लिया गया जिसमें प्रमुख सचिव, राजभवन के साथ तीन अन्य कुलपति शामिल रहेगें। यह समिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपना अभिमत एक माह में प्रेषित करेगी ।

विषय क्र. 10 नवीन अशासकीय महाविद्यालय/ नवीन संकाय/ नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठयक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्वान्त एवं परिनियम 27 में संशोधन विषयक।

प्रस्ताव-

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग व्दारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय/ नवीन संकाय/ नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठयक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत मान. राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से प्रतिवर्ष जारी किये जाते है।

वर्तमान व्यवस्था में आवेदक संस्था द्वारा अग्रणी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से अकादमिक / भौतिक सुविधाओं आदि का अनापत्ति तथा संबद्धता हेतु सत्यापन कराना पडता है जिससे न सिर्फ विलम्ब होता है अपितु एक ही काम के लिए 02 समितियों के निरीक्षण से कभी-कभी विरोधाभास की स्थितियां निर्मित होती है।

अत: महाविद्यालयों की अनापत्ति एवं संवद्धता की कार्यवाही को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत एवं परिनियम 27 की समीक्षा की जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय -

समन्वय समिति द्वारा समिति का गठन कर परिनियम क्र. 27 की समीक्षा किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

निर्णयानुसार आयुक्त , उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल की अध्यक्षता में कार्यालय के पत्र दिनांक 21.10.19 द्वारा 04 सदस्यीय समिति का गठन कर 15 दिवस में प्रतिवेदन चाहा गया था। प्रतिवेदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति की बैठक में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठन का निर्णय लिया गया जिसमें प्रमुख सचिव, राजभवन के साथ तीन अन्य कुलपति शामिल रहेगें।यह समिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपना अभिमत एक माह में प्रेषित करेगी।

विषय क्र. 11 विश्वविद्यालयों/एकरूपता समिति से प्राप्त परिनियम/अध्यादेश के संबंध में।

प्रस्ताव-

अध्यादेश /परिनियम के संबंध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालयों / एकरूपता समिति से प्राप्त परिनियम/ अध्यादेश के संबंध में।				
क्र.	अध्यादेश/ परिनियम क्र.	विषय	प्रस्ताव	रिमार्क
1	परिनियम 26	Provident Fund and Gratuity एकरूपता समिति का प्रस्ताव	वित्त विभाग के अभिमत अनुसार नस्ती आयुक्त कार्यालय को कार्यवाही हेतु भेजी गई है। प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।	
2	परिनियम 35	Grant of Pension and Gratuity to the Employees एकरूपता समिति	वित्त विभाग के अभिमत अनुसार नस्ती आयुक्त कार्यालय को कार्यवाही हेतु भेजी गई है। प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।	
3	परिनियम 43	Self Supporting Programmes (विश्वविद्यालयों में स्ववित्तीय पाठयक्रमों के संचालन के संबंध में) एकरूपता समिति	कुलसचिव बरकतउल्ला वि. वि. भोपाल को वित्त विभाग के अभिमत अनुसार प्रस्ताव परीक्षण कर भेजने जाने हेतु लिखा गया था। बरकतउल्ला वि. वि. भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2020 के माध्यम से अवगत कराया है कि परिनियम 43 के संशोधन के संबंध में स्ववित्तीय पाठयक्रमों का विनिमय तथा आवश्यक मानव संशोधन हेतु बावत वित्त विभाग के अभिमत अनुसार परिनियम में संशोधन संबंधी अनुशंसा स्थायी समिति से लिये	वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :- " स्ववित्तीय पाठयक्रम एवं फीस के निर्धारण की स्वतंत्रता विश्वविद्यालयों को दी जाये, जिससे आवश्यकता अनुसार पाठयक्रमों का निर्धारण हो सके। यद्यपि मानव संसाधन की संरचना एवं संख्या का निर्धारण

			जाने की अनुशंसा की है। पदों की संरचना	विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाली वित्तीय प्रभाव को देखते हुए शासन से स्वीकृति उपरांत किया जाना चाहिए। सक्षम स्वीकृति उपरांत मानव संसाधन की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालयों को दिया जाये।"

अनुशंसा -

स्थायी समिति की बैठक में विचारोपरांत परिनियम क्र. 26 एवं 35 के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा वित्त विभाग के अभिमत अनुसार 01 माह में कार्यवाही से अवगत कराये जाने पर सहमति दी गई।

परिनियम क्र.43 के संबंध में वित्त विभाग के अभिमत अनुसार पुन: परीक्षण उपरांत समिति से नवीन परिनियम तैयार कर अभिमत हेतु वित्त विभाग भेजे जाने की अनुशंसा की गयी।

विषय क्र. 12 खिलाडियों के दैनिक भत्ते एवं अन्य भत्तों में वृद्धि के संबंध में ।

प्रस्ताव

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग व्दारा शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क अन्तर्गत एन.एस.एस. शाखा से प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत है जिसमें खिलाडियों के दैनिक भत्ते एवं अन्य भत्तों में वृद्धि के संबंध में वर्तमान में दैनिक भत्ता रू. 200/- के स्थान पर रू. 400/- एवं स्थानीय स्तर पर दैनिक भत्ते की उक्त दर आदि अर्थात रू. 200/- प्रतिदिन किया जाना है। विश्वविद्यालय स्तर पर मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों में आयोजित होने वाली स्पर्धाओं में दैनिक भत्ता रू. 500/- होगा। मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार की फीस में वृद्धि न करते हुए दैनिक भत्ता रू. 500/- किया जाए।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 13 विश्वविद्यालय के कुलपति की सेवा शर्तो संबंधी परिनियम 01 के संबंध में।

प्रस्ताव

राज्यपाल के सचिव, राजभवन से प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत है जिसमें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवा शर्तो संबंधी परिनियम 01 जो कि समन्वय समिति की बैठक दिनांक 10.05.18 में अनुमोदित हुआ है , में सेवानिवृत्ति उपरांत कुलपति पद धारण करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले वेतन के संबंध में उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विचार कर उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु लिखा है।

इस संबंध में विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति दिनांक 31.08.20 को गठित की गई है । समिति का प्रतिवेदन अपेक्षित था। समिति का प्रतिवेदन दिनांक 28.09.2020 को प्राप्त हो गया है।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुये सेवानिवृत्ति उपरांत कुलपति पद धारण करने की स्थिति में कुलपति के पद पर प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्तों में से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली सकल पेंशन को कम करके भुगतान किया जाना मान्य किया गया।

विषय क्र. 14 'मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन ' सोसायटी के गठन एवं उप विधि संबंधी प्रकरण ।

प्रस्ताव

राज्यपाल के सचिव, राजभवन से प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत है जिसमें माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के समन्वित विकास, संसाधनों के साझा उपयोग, कठिनाई निवारण एवं समावेश योजनाओं को तैयार के उददेश्य से **" मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन "** के नाम सोसायटी की कार्यपालन गठित की गई है ।

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति अवगत हुई तथा समिति के अध्यक्ष के त्यागपत्र देने के कारण, प्रकरण पुन: विचारार्थ राजभवन को भेजने की अनुशंसा की गयी ।

विषय क्र. 15 03 विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति पद सृजन के संबंध में परिनियम में संशोधन ।

प्रस्ताव -

प्रो. (डा.) जयन्त सोनवलकर, कुलपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का पत्र क्र.133 दिनांक 16.09.20 एवं क्र.733 दिनांक 25.09.20 द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की 84 वीं बैठक दिनांक 15.09.20 के बिन्दु क्र. 84(2) के निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 7 के अंतर्गत परिनियम -13 की कंडिका (1) उपकंडिका (v) में प्रति-कुलपति के पद का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव समाहित /संशोधन को स्थाई समिति/समन्वय समिति में अनुमोदन कराये जाने हेतु निवेदन किया है ।

राज्यपाल के सचिव, राजभवन के पृष्ठांकन पत्र क्र 695 दिनांक 27.06.20 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति पद सृजन के संबंध में निर्देशानुसार मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू एवं पं. एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के परिनियम में संशोधन में किया जाना है।

प्रस्ताव स्थायी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा उपसमिति की अनुशंसा (03 विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति के पद सृजन) को मान्य किया गया ।

विषय क्र. 16 विश्वविद्यालयों से प्राप्त अध्यादेश / परिनियम।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल				
4	अध्यादेश 4/सी. 4/डी	Contractual Appontment of Teachers under self supporting schemes	1. अध्यक्ष स्थायी समिति द्वारा निम्नानुसार प्रतिवेदन/अभिमत भेजा है। अध्यादेश क्रमांक 4/सी तथा 4/डी में चिकित्सा भत्ता, अकादमिक अवकाश एवं विश्वविद्यालय आवास की सुविधा का प्रस्ताव म.प्र. शासन के नियम एवं शर्तों के अनुरूप संविदा नियुक्तियों के लिये दिया जाना उचित प्रतीत नहीं लगता है। 2. आकस्मिक अवकाश दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।	संशोधन समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन एवं संलग्न प्राप्त नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल				
5	परिनियम 13/ए	Contractual Appontment of Teachers including Self Financing Scheme	उपसमिति द्वारा सहमति दी। (संशोधन)	सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन एवं संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ है।

6	अध्यादेश 08	बी.ए.	उपसमिति द्वारा सहमति दी। (संशोधन)	सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन एवं संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ है।
7	अध्यादेश	बी.एस.सी.	उपसमिति द्वारा सहमति दी।	सदस्यों के हस्ताक्षर सहित

	09		(संशोधन)	प्रतिवेदन एवं संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ है।
8	अध्यादेश 10	बी.कॉम.	उपसमिति द्वारा सहमति दी। (संशोधन)	सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन एवं संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ है।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर				
9	अध्यादेश 234	Diploma Gym Instructor (एक वर्षीय)	उपसमिति द्वारा टीप दी गई है कि पाठ्यक्रम अवधि एक वर्ष (2 सेमेस्टर) है, किन्तु अध्यादेश में केवल एक वर्ष का उल्लेख है । साथ ही प्रस्तावित अध्यादेश में पाठयक्रम एवं स्कीम का सेमेस्टर के अनुसार वर्गीकरण नहीं है।	सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन एवं संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ है।
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन				
10	अध्यादेश 60	विधि	उपसमिति से अनुशंसा अपेक्षित	संशोधन सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन एवं संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ है।
11	परिनियम 31 का बिन्दु क्र. 4(2) (b)	प्रयोगशाला परिचारक की पदोन्नति प्रयोगशाला तकनीशियन के	-	संशोधन निर्धारित प्रपत्र में नहीं । विश्वविद्यालय को

		पद पर किये जाने के संबंध में		मूलत: वापस दिनांक 09.03.20
		छिन्दवाडा विश्वविद्यालय, छिन्दवाडा		
12	अध्यादेश 11	एकीकृत पीएच.डी	-	संशोधन निर्धारित प्रपत्र में नहीं । विश्वविद्यालय को मूलत: वापस दिनांक 29.08.20

प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

अनुशंसा -

स्थायी समिति द्वारा अध्यादेश क्र. 4 सी, 4 डी में वोकेशनल अलाउन्स (अवकाश अवधि) को छोडकर मान्य किया गया । परिनियम क्र. 13 ए, अध्यादेश क्र.08, 09,10 एवं 234 पर उपसमिति की अनुशंसा को मान्य किया गया । अध्यादेश क्र. 60 के संबंध में उपसमिति की अनुशंसा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

परिनियम क्र. 31 पर चर्चा उपरांत अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण कार्यपरिषद में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु रखा जाना चाहिये। अध्यादेश क्र. 11 निर्धारित प्रपत्र में न होने के कारण पुन: उपसमिति के परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाए ।

विषय क्र. 17 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा समस्त सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए विश्वविद्यालयों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने एवं महालेखाकार, ग्वालियर से प्राप्त लंबित आडिट आपत्तियों का निराकरण शीघ्र किये जाने का अनुरोध किया गया।

बैठक के अंत में डॉ.संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, अध्यक्ष, स्थायी समिति द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया एवं सदस्य सचिव, स्थायी समिति आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
सदस्य सचिव, स्थायी समिति
एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा

(डॉ.संगीता शुक्ला)
अध्यक्ष, स्थायी समिति एवं कुलपति
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संलग्नक- उपस्थिति सूची

(ऑनलाईन आयोजित बैठक दिनांक 30.09.2020 में स्क्रीनशाट अनुसार 56 अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे)

1. कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

2. कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह् विश्वविद्यालय, रीवा

3. कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

4. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

5. कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

6. कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

7. कुलपति राजीव गांधी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल।

8. कुलपति, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना

9. कुलपति, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, चूनाभट्टी, भोपाल

10. कुलपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

11. कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आधारताल, जबलपुर

12. कुलपति, राष्ट्रीय विधि संस्थान, विश्वविद्यालय, भोपाल

13. कुलपति, मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर

14. कुलपति, विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

15. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

16.कुलपति, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

17.कुलपति, म.प्र.आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

18.कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल।

19.कुलपति, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय,सांची, रायसेन।

20.कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर।

21.कुलपति, डॉ बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू।

22.कुलपति, पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल।

23. कुलपति, छिंदवाडा विश्वविद्यालय, छिंदवाडा ।

24.कुलपति, म.प्र. धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

25..उप सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

26.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

27.प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।

28..अपर सचिव, म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल

39.आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

30.अध्यक्ष, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

31.संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तवा काम्पलेक्स विठ्ठन मार्केट, भोपाल।

32.क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. डब्ल्यू आर सी, श्यामला हिल्स भोपाल।

33..क्षेत्रीय निदेशक, ए.आई.सी.टी.ई. श्यामला हिल्स, भोपाल।

34..क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल।

35.विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, शाखा-3 मंत्रालय।

<u>कुलपति निजी विश्वविद्यालयों की सूची</u>

1. कुलपति, जे0 पी0 अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी निजी विश्वविद्यालय, राधौगढ, गुना
2. कुलपति, एमीटी निजी विश्वविद्यालय,ग्राम महाराजपुर डांग ग्वालियर
3. कुलपति, आई.टी.एम. निजी . विश्वविद्याल, झांसी रोड, सिथौली रेल्वे स्टेशन के पास, ग्वालियर
4. कुलपति, आईसेक्ट निजी विश्वविद्यालय ग्राम मेदुआ पो.भोजपुर चिकलोद रोड,रायसेन
5. कुलपति, ए0के0एस0निजी विश्वविद्यालय ए.के.एस चेरिटेबिल ट्रस्ट बिड़ला रोड,गोपाल स्कूल के पास सतना
6. कुलपति, ओरियन्टल निजी विश्वविद्यालय रेवती रेंज गेट नं.1 अन्नपूर्णा मंदिर सावेर रोड जाख्या इन्दौर
7. कुलपति, जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालिया छाप तह.हुजूर भोपाल
8. कुलपति, स्वामी विवेकानंद निजी विश्वविद्यालय, सागर
9. कुलपति, टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिरोंज
10. कुलपति, पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भानपुर भोपाल
11. कुलपति रामकृष्ण धर्मार्थ फाउन्डेशन निजी विश्वविद्यालय, एयर पोर्ट वायपास रोड,गांधी नगर,भोपाल
12. कुलपति, श्री सत्यसाई प्राद्योगिकी एवं विज्ञान निजी विश्वविद्यालय, सिहोर

13. कुलपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय , भोपाल

14. कुलपति, एल.एन.सिटी निजी विश्वविद्यालय,कोलार रोड़ भोपाल

15. कुलपति, मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, वायपास स्कवायर,रेवास देवड़ा रोड़ मंदसौर

16. कुलपति, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय,इंदौर देवास वायपास रोड़ ग्राम अरण्डीया, इंदौर।

17. कुलपति, पी.के.निजी विश्वविद्यालय,ग्राम थानरा,तह0 करेरा एन.एच. 25 शिवपुरी।

18. कुलपति, मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, एन.एच.-59 ए नेमावार रोड़, इंदौर।

19. कुलपति, श्री वैष्णव निजी विश्वविद्यालय, ए0बी0रोड पिगदाम्बर राउ, इंदौर।

20. कुलपति, मेडीकेप्स निजी विश्वविद्यालय, ए.बी.रोड़ पिगदाम्बर राउ,इंदौर।

21. कुलपति, जी.एच.आर.रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, मौजा ग्राम, धोधाबोरगांव, ग्राम साईसेड़ा तहसील सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा।

22. कुलपति, सिम्बायसिस युनिवर्सिटी आफ एप्लाईड सांइसेस बड़ा बानगडडा तहसील हातोद, इन्दौर।

23. कुलपति, व्ही.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर

24. कुलपति, अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन।

25 कुलपति, सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर

26 कुलपति, रैनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर

27. कुलपति, भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल।

28 कुलपति, मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल।

29. कुलपति, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर।

30. कुलपति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट।

31. कुलपति, डॉ.सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा।

32. कुलपति, मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर।

33. कुलपति, संजीव अग्रवाल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल ।

34. कुलपति, आई.ई.एस. निजी विश्वविद्यालय, भोपाल ।

35. कुलपति, सेम ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, रायसेन ।

36. कुलपति, मंगलायतन निजी विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

37. कुलपति, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय,पोस्ट -उमरियापान, कटनी।